
4. पात्रता मापदंड/Eligibility Criteria

उम्मीदवार को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा/पूरा करना होगा: The candidate must meet/fulfil the following criteria:

- 4.1. वह भारत का नागरिक है या भारत का प्रवासी नागरिक है। He / She is a citizen of India or Overseas Citizen of India.
- 4.2. उम्मीदवार के पास प्राथमिक चिकित्सा योग्यता होनी चाहिए, जिसकी पुष्टि संबंधित भारतीय दूतावास द्वारा की गयी हो कि वह उस देश में चिकित्सा व्यवसायी के रूप में नामांकन के लिए एक मान्यता प्राप्त योग्यता है जिसमें उक्त योग्यता प्रदान करने वाला संस्थान स्थित है।
The candidate should possess a primary medical qualification, which is confirmed by the Indian Embassy concerned, to be a recognized qualification for enrolment as medical practitioner in the country in which the institution awarding the said qualification is situated.
- 4.3. उक्त प्राथमिक चिकित्सा योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा का परिणाम **30 अप्रैल 2022** को या उससे पहले घोषित किया जाना चाहिए। The result of final examination for the said primary medical qualification should have been declared on or before **30th April 2022**.
- 4.4. उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उनके लिए सबूत/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि ऐसी प्राथमिक चिकित्सा योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तिथि यानी **30 अप्रैल 2022** को या उससे पहले घोषित किया गया था। प्रस्तुत दस्तावेज पुष्टि करें कि उम्मीदवार ने संबंधित संस्थान की आवश्यकता के अनुसार योग्य परिणामों के साथ प्राथमिक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के सभी आवश्यक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। Candidates must note that it is mandatory for them to submit proof /documentary evidence that clearly establishes that the result of the final examination for such a primary medical qualification was declared on or before the cut-off date i.e. **30th April 2022**. The document submitted must confirm that the candidate has successfully completed all required courses of the primary medical courses

with eligible results as per requirement of the institution concerned.

- 4.5. यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत/दस्तावेजी साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं करते हैं कि उनकी प्राथमिक चिकित्सा योग्यता की अंतिम परीक्षा का परिणाम **30 अप्रैल 2022** को या उससे पहले घोषित नहीं किया गया था, तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उम्मीदवार को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। In the event that the proof / documentary evidence submitted by the candidate does not clearly establish that the result of the final examination of his primary medical qualification was not declared on or before **30th April 2022**, the candidature shall be cancelled and the candidate shall be declared as ineligible.
- 4.6. एनएमसी के पत्र संख्या एनएमसी/एमसीआई-34(41)(जनरल)/2020-21-एमईडी / 002815 दिनांक 22.01.2021 की सिफारिशों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या V.11025/02/2021-MEP दिनांक 09.03.2021 के तहत अनुमोदन के अनुसरण में, केवल पात्र उम्मीदवारों को एफएमजीई में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी, जिनके पास पात्रता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और प्राथमिक चिकित्सा योग्यता के अनंतिम पास प्रमाण पत्र/डिग्री प्रमाण पत्र दोनों हैं। Pursuant to the recommendations of the NMC vide its letter No NMC/MCI-34(41) (Gen)/2020-21-Med/002815 dated 22.01.2021 and approval of the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW), Govt of India vide its letter No V.11025/02/2021-MEP dated 09.03.2021, only eligible candidates will be allowed to appear in the FMGE who have both the Eligibility Certificate (if applicable) and the Provisional Pass Certificate/Degree Certificate of Primary Medical Qualification.
- 4.7. एफएमजीई के लिए सूचना बुलेटिन में निर्धारित दस्तावेजों को जमा करने में विफल रहने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें उपस्थित होने के लिए अपात्र घोषित किया जाएगा। Candidates who fail to submit the documents as prescribed in the Information Bulletin for FMGE will not be allowed to appear in the examination and would be declared ineligible to appear.

-
- 4.8. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एफएमजीई के लिए तभी आवेदन करें, जब उनके पास परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज हों, जिनमें पात्रता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और अपनी प्राथमिक चिकित्सा योग्यता का अनंतिम पास प्रमाण पत्र / डिग्री प्रमाण पत्र शामिल हैं। Candidates are therefore advised to apply for FMGE only if they possess with them all the documents required to apply for the examination, including the Eligibility Certificate (if applicable) and the Provisional Pass Certificate/ Degree Certificate of their Primary Medical Qualification.
- 4.9. भारत में अनंतिम या स्थायी पंजीकरण की मांग करने वाले उम्मीदवार को स्क्रीनिंग टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि वह ऑस्ट्रेलिया/कनाडा/न्यूजीलैंड/यूनाइटेड किंगडम/संयुक्त राज्य अमेरिका से स्नातक चिकित्सा योग्यता रखता है और उसने ऑस्ट्रेलिया / कनाडा / न्यूजीलैंड / यूनाइटेड किंगडम / संयुक्त राज्य अमेरिका में स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यता भी अर्जित करी है जो उस देश में चिकित्सा व्यवसायी के रूप में नामांकन के लिए मान्यता प्राप्त है। Candidate seeking provisional or permanent registration in India **shall not have to qualify** the Screening Test if he/she holds an Under Graduate medical qualification from Australia/Canada/New Zealand/United Kingdom/United States of America and the holder thereof has also been awarded a Post Graduate medical qualification in Australia/Canada/New Zealand/ United Kingdom/United States of America and has been recognised for enrolment as medical practitioner in that country.
- 4.10. पाकिस्तान से अपनी प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पात्रता गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार से उनकी सुरक्षा मंजूरी के अधीन होगी। एफएमजीई के लिए ऐसे उम्मीदवारों का परिणाम केवल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश पत्र संख्या C.18018/09/2004-MEP दिनांक 26-11-2018 के अनुसार MHA सुरक्षा मंजूरी प्राप्त होने पर घोषित किया जाएगा। Eligibility of candidates who have obtained their primary medical qualification from Pakistan shall be subject to their security clearance from Ministry of Home Affairs (MHA), Govt of India. The result of such candidates for FMGE shall only be declared on receipt of MHA security clearance as per Ministry of Health & Family Welfare ,

Govt of India direction vide Letter No C.18018/09/2004-MEP dated 26-11-2018.

- 4.11. उम्मीदवार स्क्रीनिंग टेस्ट विनियम, 2002 और इसके सभी संशोधनों, स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियम और पात्रता प्रमाणपत्र विनियमों का भी उल्लेख कर सकते हैं।
Candidates may also refer to Screening Test Regulations, 2002 & all its amendments, Regulations on Graduate Medical Education and Eligibility Certificate Regulations.
- 4.12. परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए गए उम्मीदवारों की पात्रता विशुद्ध रूप से अनंतिम होगी और यदि एफएमजीई के किसी भी स्तर पर अपात्रता का पता चलता है, तो परिणाम घोषित होने और / या पास प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर भी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
Eligibility of candidates who have been issued admit cards for the examination shall be purely provisional and if ineligibility is detected at any stage of FMGE, the candidature shall be cancelled even if the result has been declared and/or the Pass Certificate has been issued.